संसद की अदालत में

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

01 अक्टूबर, 2018

द हिन्दू

लेखक-
संजय कुमार (प्रोफेसर), अमृत प्रकाश पांडे (अनुसंधान सहायक)

''यह विधि निर्माताओं के लिए चुनावी राजनीति को पूरी तरह से साफ करने का उचित समय है।''

जहाँ एक तरफ संसद और राज्य विधायी असेंबली में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों का निर्वाचित हो कर आने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस समस्या का निदान ढूंढने की पहल काफी धीमी हो चुकी है।

एक समय ऐसा भी आया जब यह उम्मीद जताई जाने लगी थी कि न्यायपालिका इस समस्या का निदान ढूंढने में मदद करेगी और ऐसे उम्मीदवारों को रोकने में सफल हो पायेगी, लेकिन हाल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कानून बनाने का कार्य संसद पर छोड़ दिया है।

देखा जाये तो, न्यायपालिका से इसकी उम्मीद लगाना कहीं से अनुचित नहीं था, क्योंकि चुनावी कानूनों में कुछ महत्त्वपूर्ण बदलाव, जैसे कि उम्मीदवारों पर यदि कोई आपराधिक मामला है तो उसका पूर्ण प्रकटीकरण देना और अपनी संपत्ति तथा आय के ब्योरे के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना, न्यायपालिका द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था।

सबसे हालिया परिवर्तन, यानी मतदाताओं को नोटा (NOTA) का विकल्प प्रदान करना अर्थात अगर कोई मतदाता चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान नहीं करना चाहता है तो वह इस विकल्प का उपयोग कर सकता है।

विदित हो कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर पीआईएल के आधार पर 2003 में न्यायपालिका ने भी इसे पेश किया था।

अदालत ने उल्लेख किया है कि उसके पास आपराधिक मामलों का सामना कर रहे राजनेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन वह संसद को एक मजबूत कानून बनाने की सिफारिश जरूर कर सकता है।

हालांकि, अदालत ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए खुद को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटीकरण करना अनिवार्य बना दिया है।

लेकिन यहाँ एक संदेह है कि क्या यह निर्णय हमारी राजनीति को पहले की तुलना में और स्वच्छ बनाने में मदद कर पाएगा। अफसोस तो यह है कि इस मुद्दे पर जितनी तेजी से पहल की जानी चाहिए उतनी तेजी पहल संसद द्वारा नहीं की जा रही है।

इसका कारण सरल और स्पष्ट हैं। इस समस्या से कोई राजनीतिक दल मुक्त नहीं है। मनी पावर के साथ मैंन पॉवर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी लाभ को अधिकतम करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है।

ऐसे परिदृश्य में, किसी भी राजनीतिक दल के लिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का कोई भी कदम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाएगा।

आंकड़ों के अनुसार-

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्यों में से 179 के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला है। हालांकि यह भी सच है कि इनमें से कुछ दोष गलत हो, लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि इनमें से कई मामले गंभीर अपराधों में उनकी भागीदारी के आरोपों से संबंधित हो।

आंकड़ों के अनुसार, 100 से अधिक सांसदों के मामलों में, कई मामले बहुत गंभीर प्रकृति से जुड़े थे जैसे महिलाओं के साथ हिंसा और अपहरण के मामले। पिछले पांच वर्षों में इस संबंध में बहुत कम सुधार हुआ है।

पिछली लोकसभा (2009) में, 163 के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें से कई गंभीर प्रकृति के थे। ऊपरी सदन के सदस्यों की प्रोफाइल बेहतर नहीं है; राज्यसभा के 228 सदस्यों में से जिनके लिए डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है, 20 में उनके खिलाफ लंबित गंभीर अपराधों के मामले हैं।

हांलाकि, सभी राजनीतिक दल अपराधी मामलों से जुड़े उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने के बारे में अपनी-अपनी चिंता तो व्यक्त करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आगे बढ़कर इस संदर्भ में पहल करने को तैयार नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसदों (लोकसभा और राज्य सभा) में 107 (32%) के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। उनमें से 64 (19%) के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले लंबित हैं। बीजेपी की तुलना में कांग्रेस कुछ ही कम है; 15 सांसदों (15%) के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से आठ (8%) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं।

इस संबंध में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच भी कोई अधिक अंतर नहीं है। शिवसेना में, 18 सांसदों (86%) के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 10 (48%) गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है।

सभी सांसदों में से 6 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (55%) और राष्ट्रीय जनता दल (67%) में से प्रत्येक के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं।

एडीआर के अनुमानों के अनुसार, संसद में 1,500 से अधिक सांसद और विधायक हैं और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के साथ राज्य विधानसभाएं हैं।

नीति निर्माताओं द्वारा ध्यान देने के लिए यह मुद्दा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण और गंभीर है। जबकि चुनाव आयोग के पास ऐसी समस्याओं पर कानून बनाने की सीमित शक्तियां हैं, यह केवल संसद द्वारा ही वांछित परिवर्तन लाने के लिए कानून बना सकती है।

जनता की राय भी इस पर दृढ़ नहीं है। उदाहरण के लिए, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या वे एक ईमानदार उम्मीदवार के लिए मतदान करने के इच्छुक होंगे, तो उनकी राय इस पर विभाजित थी।

* * *

GS World टीम...

नोटा (NOTA)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के मतपत्रों से 'उपर्युक्त में से कोई भी नहीं' (नोटा) विकल्प 11 सितंबर, 2018 को हटाने की घोषणा की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में बैलेट पेपर से नोटा का विकल्प प्रकाशित नहीं करने के आदेश जारी किए हैं।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों में नोटा एक विकल्प के रूप में जारी रख सकता है।
- फैसले में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के प्रमुख निर्वाचन अधिकारियों को जारी एक आदेश में कहा कि अब से इन चुनावों के मतपत्रों में नोटा के लिए कॉलम मुद्रित नहीं किया जाएगा।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करना पहली निगाह में बुद्धिमत्तापूर्ण लगता है, लेकिन अगर उसकी पड़ताल की जाए तो ये आधारहीन दिखता है।
- ऐसा इसलिए, क्योंकि इसमें ऐसे चुनाव में मतदाता की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया है, इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है।
- कोर्ट के अनुसार, शुरुआत में यह सोच आकर्षक लग सकती है लेकिन इसके व्यवहारिक प्रयोग से अप्रत्यक्ष चुनावों में समाहित चुनाव निष्पक्षता समाप्त होती है।
- वह भी तब जबकि मतदाता के मत का मूल्य हो और वह मूल्य ट्रांसफरेबल हो। ऐसे में नोटा एक बाधा है।
- कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने से न सिर्फ संविधान की दसवीं अनुसूची में दिये गए अनुशासन का हनन होता है (अयोग्यता के प्रावधान), बल्कि दल-बदल कानून में अयोग्यता प्रावधानों पर भी विपरीत असर डालता है।

क्या है नोटा (NOTA)?

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प दिया गया है जिसे आप चुनाव में अपने पसंद के प्रत्याशी न होने पर नोटा बटन का प्रयोग कर सकते हैं।
- इंडिया में नोटा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के दिये गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ।
- पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिये नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए।
- भारत नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वाँ देश है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अपराधी लोगों के चुनाव लड़ने पर कानून विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
2. चुनाव पूर्व उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक मामलों का पूर्ण प्रकटन अनिवार्य है।
3. चुनाव पूर्व उम्मीदवारों द्वारा संपत्ति तथा आय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. उच्चतम न्यायालय को आपराधिक पृष्ठभूमि को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की शक्ति है।
2. आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों द्वारा अपराध प्रकटीकरण इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में अनिवार्य है।
3. आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का अपराध प्रकटीकरण राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनिवार्य है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

नोट :
29 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को खोखला कर रहे हैं। व्याख्या कीजिए। (250 शब्द)